

मध्य प्रदेश राज्य परसिंपत्त प्रबंधन कंपनी का हुआ गठन

चर्चा में क्यों?

27 जनवरी, 2022 को राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 18 जनवरी को हुई राज्य मंत्रपरिषद की बैठक में लिये गए नरिणय के पालन में लोक परसिंपत्त प्रबंधन वभिग के अंतरगत मध्य प्रदेश राज्य परसिंपत्त प्रबंधन कंपनी एस.पी.वी. का गठन कथिा गया है।

प्रमुख बदि

- मध्य प्रदेश राज्य परसिंपत्त प्रबंधन कंपनी तथा प्रसत्तावति एस.पी.वी. की अधिकृत शेयर पूंजी `1000 करोड़ एवं प्रदत्त पूंजी `10 करोड़ रखा जाना प्रसत्तावति है। एस.पी.वी. के गठन के उपरांत शेयर पूंजी का 100% अंशदान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वहन कथिा जाएगा।
- मध्य प्रदेश राज्य परसिंपत्त प्रबंधन कंपनी का प्रशासकीय वभिग मध्य प्रदेश लोक परसिंपत्त प्रबंधन वभिग होगा। कंपनी के संचालक मंडल का भी गठन कथिा गया है, जसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष मुख्य सचवि होंगे।
- मंडल के सदस्यों में वतित, लोक परसिंपत्त प्रबंधन, लोक नरिमाण, राजस्व, वाणजियकि कर और नगरीय प्रशासन एवं वकिस वभिग के प्रमुख सचवि होंगे। प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश राज्य परसिंपत्त प्रबंधन कंपनी को सदस्य सचवि बनाया गया है।
- राज्य शासन ने संचालक मंडल के दायत्व भी नरिधारति कथिे हैं। इसके साथ ही कंपनी के लिये कार्यपालकि समति का गठन कर उसके भी दायत्व नरिधारति कथिे गए हैं। राज्य शासन ने कंपनी के लिये वतितपोषण की व्यवस्था, पदीय संरचना के साथ वार्षकि व्यय भी तय कथिा है।
- मध्य प्रदेश राज्य परसिंपत्त प्रबंधन कंपनी एस.पी.वी.के नमिनलखिति दायत्व नरिधारति कथिे गए हैं-
 - लोक परसिंपत्तियों के युक्तयुक्त प्रबंधन के संबंध में नीत एवं दशिा-नरिदेशों को तैयार करना।
 - अंतरवभिगीय वमिरश एवं समनवय के माध्यम से राज्य एवं सार्वजनकि उपक्रम की परसिंपत्तियों का युक्तयुक्तकरण कर समुचति उपयोग सुनशिचति करना।
 - शासन एवं सार्वजनकि उपक्रम की संपत्तियों के मौद्रीकरण तथा प्रबंधन के लिये वभिनिन वकिलपों का मूलयांकन करना।
 - अनुपयोगी परसिंपत्तियों के लिये प्रबंधन एवं मौद्रीकरण हेतु आवश्यक कौशल एवं योग्यतायुक्त मानव संसाधन तैयार करना।
 - सूचना प्रौद्योगिकी एवं भौगोलकि सूचना तंत्र के माध्यम से राज्य की नरवर्तन योग्य परसिंपत्तियों की पंजी तैयार करना।
 - परसिंपत्तियों के मूल्य को बढाने के लिये आवश्यक वकिस कार्य, जससे परसिंपत्त का बेहतर प्रबंधन हो सके।
 - शासकीय वभिगों एवं उपक्रमों को सेवा शुल्क के आधार पर परसिंपत्तियों के मौद्रीकरण तथा प्रबंधन के लिये सलाहकारी सेवा प्रदाय करना।
 - आवश्यकतानुसार वभिनिन वतित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त कर इसे लोकहति के वभिनिन कार्यों में उपयोग करना।